UPEW010065822018

न्यायालय Spl. Judge (E.C. Act), Etawah

पीठासीन अधिकारी– (Sri Ankur Sharma), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)**

(J.O. Code–UP1632)

Special Session Case 1077/2018

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोजन।

बनाम

मनोज कुमार यादव पुत्र धीरी सिंह, निवासी महुआ द्वार थाना भौगांव जिला मैनपुरी, हाल निवास–गली सं० 4, म०सं०–5/167 आवास विकास कालोनी, थाना–कोतवाली, जिला–मैनपुरी।

.....अभियुक्त।

मु०अ०सं० 97/2017
धारा–135(बी)विद्युत अधिनियम।
थाना–चकरनगर, जनपद इटावा।

निर्णय

1. थाना चकरनगर द्वारा अभियुक्तगण दिनेश कुमार व मनोज कुमार यादव के विरूद्ध मु०अ०सं०–97/2017 अन्तर्गत धारा 135(बी) विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.09.2017 को समय 17.45 बजे, स्थान–अमर सिंह C/O व्योम नेटवर्क, चकरनगर, इटावा के नाम टावर के संयोजन सं० 3112/145263 को पूर्व में चेक किया गया जो पूर्व में स्थानीय विवाद के कारण जोड़ा नहीं जा सका था, मौके पर 2 कोर काली पी०बी०सी० केबिल द्वारा पोल से कटिया डालकर मीटर बाईपास करते हुए अवैध तरीके से विद्युत का उपभोग करते हुए पाये गये।

3. लिखित तहरीर के आधार पर थाना चकरनगर जनपद इटावा पर अभियुक्त दिनेश कुमार के विरूद्ध मु०अ०सं०–97/2017, अन्तर्गत धारा–135 विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीकृत किया गया।

4. दौरान विवेचना अभियुक्त मनोज कुमार यादव का नाम प्रकाश में आने के आधार पर विवेचक द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार व मनोज कुमार यादव के विरुद्ध भी आरोप

Digitally signed by ANKUR SHARMA
Date: 2026.05.21 14:40:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्र प्रेषित किया गया।

5. न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के उपरान्त अभियुक्तगण को आहूत किया गया।

6. दौरान मुकदमा न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2021 को अभियुक्त दिनेश कुमार के विरुद्ध शमनीय आधार पर वाद का निस्तारण करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।

7. अभियुक्त मनोज कुमार यादव के न्यायालय में उपस्थित आने पर दिनांक 28.01.2026 को उसके विरूद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की माँग की।

8. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षी को प्रस्तुत किये गये है –

अभियोजन साक्षी संख्या	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
पी०डब्लू–1	सौरभ सिंह	द्वितीयक साक्षी

9. अभियोजन पक्ष ने अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है –

प्रदर्श नम्बर	**प्रदर्श का विवरण**	**सिद्ध/ प्रमाणित द्वारा**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–2	आरोप पत्र	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–4	जी०डी०	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

10. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं०प्र०संहिता लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने अभियोजन कथानक व साक्षी के बयान गलत तथा मुकदमा गलत एवं झूठा चलाने का कथन करते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

11. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

12. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक (विद्युत) द्वारा तर्क किया गया है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से सिद्ध होता है कि दिनांक 15.09.2017 को समय 17.45 बजे चेकिंग करने पर अभियुक्त मनोज कुमार यादव कटिया डालकर विद्युत का अवैध रूप से उपभोग करते पाये गये।

13. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तर्क का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि विद्युत विभाग द्वारा नियमानुसार विद्युत अधिनियम में उपबन्धित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा विद्युत का अवैध प्रयोग नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त आरोपित आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

14. साक्षी पी.डब्लू.–1 सौरभ सिंह ने अपनी मुख्यपरीक्षा में साक्ष्य दिया है कि वह वर्ष 2020 से विद्युत विभाग द्वितीय में पैरोकार के पद पर अनवरत तैनात है। उपरोक्त मुकदमे का वादी अवर अभियन्ता कन्हैयालाल उसके साथ कार्यरत रहे हैं। उसने उनको लिखते पढ़ते देखा है और लेख व हस्ताक्षर को भली भांति पहचानता है। उपरोक्त अवर अभियन्ता कन्हैयालाल की मृत्यु लगभग दो माह पूर्व हो चुकी है तथा उपरोक्त अभियान में कार्यरत उपखण्ड अधिकारी ए.के. गौतम(अजय कुमार गौतम) की भी मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली में कागज सं० 5 क है, जो वादी मुकदमा अवर अभियन्ता कन्हैयालाल के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसको वह प्रमाणित कर हस्ताक्षर बनाता है। जिस पर प्रदर्श–क 1 डाला गया। अपनी प्रति–परीक्षा में साक्षी द्वारा साक्ष्य दिया गया है कि उपरोक्त मुकदमा से सम्बन्धित सभी बकाया धनराशि अभियुक्त द्वारा जमा कर दी गयी है। कोई बकाया धनराशि शेष नहीं है। अधिशाषी अभियन्ता के पत्रांक सं० 1093 दिनांक 05.03.2021 के अनुसार समस्त धनराशि जमा है।

15. पत्रावली में कागज सं० 17 क अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय इटावा, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा निर्गत पत्रांक सं० 4767/वि.न.वि.ख.द्वि.इ./दिनांकित 18.05.2026 की प्रति दाखिल है, जिसमें अधिशाषी अभियन्ता द्वारा कथन किया गया है कि उपरोक्त मुकदमे में समस्त राजस्व निर्धारण व शमन शुल्क की धनराशि विभाग को प्राप्त हो चुकी है। अतः उक्त वाद में कोई भी देयता शेष न होने

के कारण वाद के निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत मुकदमे में समस्त शमन धनराशि तथा राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा होना विदित होता है।

16. धारा–152(3) विद्युत अधिनियम यह प्रावधानित करती है कि– समुचित सरकार या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा उपधारा–(1) के अनुसार अपराध के शमन के लिए धनराशि स्वीकार करना, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–300 के अर्थ में दोषमुक्ति के समान समझा जायेगा।

17. अतः मामले के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं उपरोक्त प्रावधान को दृष्टिगत अभियुक्त मनोज कुमार यादव धारा–135(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त मनोज कुमार यादव को धारा–135(बी) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत लगाये गये आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त मनोज कुमार द्वारा धारा–481(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता) के अनुपालन में 20,000/–रुपये का निजी बन्धपत्र व समराशि की एक प्रतिभू दाखिल करें।

दिनांक–21.05.2026 **(अंकुर शर्मा)**

विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–21.05.2026 **(अंकुर शर्मा)**

विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632

परिशिष्ट–अ

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दाण्डिक अपील संख्या (एस) 2973/2023 मनोजभाई जेठा भाई परमार (रोहित) बनाम गुजरात राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 15.12.2025 में जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना।

परीक्षित गवाहों की सूची

अभियोजन गवाह संख्या	अभियोजन गवाह का नाम	विवरण
पी०डब्लू–1	सौरभ सिंह	द्वितीयक साक्षी

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

प्रदर्श नम्बर	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा सत्यापित/ साबित किया
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू–1
प्रदर्श क–2	आरोप पत्र	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–3	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–4	जी०डी०	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।
प्रदर्श क–5	नक्शा नजरी	अभियुक्त के द्वारा प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गयी।

दिनांक–21.05.2026

(अंकुर शर्मा)
विशेष न्यायाधीश (आ0व0अधि0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–4, इटावा।
J.O. CODE : UP01632